tion boards and other Government outlets; and

(b) the terms and conditions of this arrangement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) The information of being collected and will be placed on the table of the House.

Foreigners' visit to North-East Region

3397. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of foreigners who visited in the North-East Region during the year 1995-96, 1996-97, Statewise;

(b) the details regarding their purposes of visit and countries they belonged; and

(c) the reasons for not relaxing issue RAP/PAP for allowing the foreigners to visit the State of Manipur, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Restricted/protected Area Permit Regime was lifted from the States of Assam, Meghalaya and Tripura on 19.5.95 and no permit is required by foreigners visiting these States. Certain places of tourist interest have been opened in the States of Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram and foreigners are allowed to visit these places after obtaining permits from the competent authority. No data of the permits issued is centrally maintained.

(c) Foreigners are allowed to visit open places in the States of Aruncahal Pradesh, Manipur and Mizoram. Relaxations in the RAP/PAP regime are considered from time to time and proposals received from the State Governments are processed and appropriate decisions taken.

Security for Journalists and Political Leaders

3398. SHRI K. REHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of journalists, political leaders other than Ex. MPs and Ex. Ministers who have been provided security and the reasons therefor;

(b) whether it has come to the notice of Government that certain journalists and political leaders have got security by organising take threats to their life and whether the IB has verified the claims; and

(c) whether Government propose to appoint a committee with a judicial officer in the committee to examine each case on merit as crores of public money is wasted on few individuals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) The number of such protectees at present is 131. Security has been provided in their cases on the basis of threat assessment.

(b) Security is provided not on the apprehensions or claims of individuals but on the basis of threat as perceived by security agencies.

(c) There is no such proposal at present.

दिल्ली न्यायालयों में अभियोजित अपराधी

3399. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान दिल्ली राज्य में पुलिस द्वारा अपराधी माने जाने वाले कुछ व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमें चलाए गए थे; और

(ख) इनमें से मार्च, 1997 तक कितन व्यक्तियों को दोषी ठहराकर दण्डित किया गया तथा कितने व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा निर्दोष पाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मो० मकबूल डर): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

वर्ष	व्यक्ति जिन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया	दोषसिद्ध	दोषमुक्त
1994	54134	12064	2848
1995	61224	11722	1697
1996	42127	11136	429
1997 (31.3.1997 तक)	4768	2125	6

दिल्ली में अपराधों की रोकथाम

3400. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में अपराधों की रोकथाम करने और पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए गत वर्षों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ये कदम कब-कब उठाए गए थे; और

(ग) इन कदमों के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि हासिल होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मो० मकबूल डार): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार तथा पुलिस विभाग को पुर्नगठित करके दिल्ली में अपराध रोकने के लिए उठाये गए कदमों में शामिल है:—

(i) नवम्बर, 1994 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का पांच प्रमुख विंगों, नामतः पारंपरिक अपराध विंग, आर्थिक अपराध विंग, सामाजिक रक्षा विंग, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता विंग तथा अपराध मुख्यालय विंग में पुर्नगठन।

(ii) ऐसी महिलाओं, जो विभिन्न अपराधों की शिकार होती हैं, की शिकायतों की जांच करने के लिए 1983 में महिला अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना।

(iii) विशेष रूप से सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण और/या निपटान संपत्ति से उसके दखलदारों को जबर्दस्ती बेदखल करने तथा इस संबंध में सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ और भ्रष्ट आचरण तथा इसे सौंपे जाने वाले इस प्रकार के अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए सितम्बर, 1996 में एक विशेष कार्य बल की स्थापना।

(iv) महत्वपूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए 1995 के दौरान सभी पुलिस जिलों में विशेष जांच-पड़ताल यूनिटों के रूप में जिला अपराध प्रकोष्ठों का सृजन।

निम्नलिखित विशेष अभियान चलाये गए हैं:—

(i) नौकर सत्यापन अभियान।

(ii) पड़ोस निगरानी योजना।

(iii) वृद्ध नागरिक योजना।

(iv) सम्पति से गैर-कानूनी तथा जबर्दस्ती बेदखल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

(ग) इन कदमों के फलस्वरूप दिल्ली में अपराध का पता लगाने की प्रतिशतता में सुधार हुआ है। नौकरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में काफी कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण की वारदातों में भी कमी आई है तथा पूर्व में अपराधी रह चुकी जन-जातियों द्वारा किए जाने वाले हमलों में लगातार कमी हो रही है। दहेज-उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा करने की इसकी भूमिका तथा राजीनामा कराने में इसके प्रयासों में भी महिला अपराध प्रकोष्ठ काफी प्रभावकारी रहे हैं।

Complaints against Junior Field Officers of SIB

3401. SHRI MAHESHWAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he has received complaints from some M.Ps against some junior field officers of the (Subsidiary Intelligence Bureau) stationed in Sikkim; and

(b) whether any verification/enquiry on the allegations as per the complaints have been initiated; if not, the reasons therefor?